झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 12 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती चैती मिंज एवं अन्य

DISPOSED
19/06/2023.

बनाम

प्रतिवादी DSO, गढ़वा

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
06.03.23.	**वाद सं0–12/2023**	

परिवादी श्रीमती चैती मिंज, ग्राम–बिन्जपुर, पंचायत–टेहरी, प्रखण्ड–बरगड़, जिला–गढ़वा का परिवाद पत्र दिनांक–01.11.2022 को आयोग द्वारा शिकायत प्राप्ति हेतु जारी किये गये व्हाटसएप्प नं0 पर प्राप्त हुआ।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में PDS वितरक श्री बृजमोहन मिंज, अनु0 सं0–19/89 के विरूद्ध निम्न से संबंधित शिकायत पत्र उपलब्ध कराया गयाः–

1. परिवादी द्वारा शिकायत किया गया है कि PDS वितरक बृजमोहन मिंज द्वारा माह अगस्त, सितम्बर एवं अक्टूबर का राशन अबतक वितरण नहीं किया गया।
2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानुन–2013 के तहत् वितरण किया जाने वाला खाद्यान्न PH एवं AAY माह फरवरी, 2020 से प्रति व्यक्ति 500 ग्रा0 अनाज की कटौती किया जाना।
3. लाभुक श्रीमती चैती मिंज को उनकी अहर्ता 40 कि0ग्रा0 अनाज के स्थान पर 35 कि0ग्रा0 अनाज देना।
4. PMGKAY अनाज वितरण में भी प्रति व्यक्ति 500 ग्रा0 अनाज कटौती करना।
5. डीलर द्वारा राशन कार्ड रद्द करा दिये जाने की धमकी देना।

उक्त परिवाद पत्र पर कार्रवाई हेतु आयोग के पत्रांक–WA/427/2022 दिनांक–04.11.2022 द्वारा DGRO, गढ़वा को ई लेटर के माध्यम से सुनवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी प्रति DSO, गढ़वा को भी भेजी गई। किन्तु कार्रवाई प्रतिवेदन अप्राप्त रहा।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.03.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त शिकायत आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–22.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

6.3.23   06/03/23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद संख्या–12 / 2023

22.03.2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभार में SDO, गढ़वा उपस्थित। आज की सुनवाई ऑडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सुनवाई के दौरान बताया कि सुनवाई से एक दिन पूर्व शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध कराने का प्रयास पणन पदाधिकारी द्वारा कराया गया लेकिन शिकातकर्ता ने ये कहते हुए राशन लेने से मना कर दिया 22.03.2023 को आयोग में सुनवाई है, सुनवाई के पश्चात ही वो राशन लेंगे। आयोग ने जब जिला आपूर्ति पदाधिकारी से यह जानना चाहा कि शिकायतकर्ता को कितना राशन उपलब्ध कराया जा रहा था, उन्होंने बताया कि जितने दिन का राशन बकाया था, उतने दिन का राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि जितने शिकायतकर्ताओं को जितने दिन का राशन बकाया है, उसका सवा गुणा अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें क्योंकि बकाया राशन की उपलब्धता हर्जाने के साथ होना चाहिए। इस बीच शिकायतकर्ता ने डीलर द्वारा मनमानी करने और राशन के लिए बार–बार दौड़ाने के लिए शिकायत की। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो इस मामले की जांच कर डीलर पर समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि आज के आदेश का अनुपालन का प्रमाण 15 दिनों के अन्दर आयोग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मामले को अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–25.04.2023 को निर्धारित की जाती है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

अपरिहार्य कारण से आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि दि० 16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। उभयपक्ष को सूचित करें।

25.4.23

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
16-05-2023	**वाद सं0—12 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपस्थित। मामले की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई। आयोग के अभिलेख में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन मौजूद है, जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है कि आयोग के 22.03.2023 के आदेश के आलोक में लाभुकों को हरजाने के साथ राशन उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन आज की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ताओं ने बताया की कुल 14 लोगों ने शिकायत की थी, जिनमें 6 लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया है। परिवादी द्वारा स्पष्ट किया गया कि परिवाद पत्र में अंकित श्रीमती चैती मिंज, श्री कमिल पन्ना, श्री विनोद मिंज, श्री राम प्रित, श्री नाबिया किसान एवं श्री विमल मिंज को मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध करा दिया गया है, जबकी परिवाद पत्र के शेष 8 लाभुकों को नहीं दिया गया है। चूंकि परिवाद पत्र जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रेषित किया जा चुका है, अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि शेष को मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध कराकर प्राप्ति अगली निर्धारित तिथि से पूर्व उपलब्ध करायें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक—30.05.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक—30.05.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx24

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30.05.2023 08/06/23	**वाद संख्या–12 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती चैती मिंज एवं अन्य, ग्राम–बिन्जपुर, पंचायत–टेहरी, प्रखण्ड–बरगड़, जिला–गढ़वा Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा ने अपने प्रतिवेदन के माध्यम से यह बताया है कि जिन लोगों को राशन उपलब्ध नहीं कराया गया था, उन अन्य 09 लोगों को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन उन 09 लोगों में से श्री शंभू खलखो ने आज की सुनवाई में यह कहा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा गलत जानकारी दी जा रही है। उन्हें राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। आयोग आज की सुनवाई में ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा को निर्देश दिया है कि यदि श्री शंभू खलखो को राशन उपलब्ध करा दिया गया है, तो उसका प्रमाण आयोग को भेजें एवं यदि राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है तो जितने दिनों का राशन बकाया है, उससे 1.25 गुना मुआवजा के साथ राशन उपलब्ध कराएँ तथा उसका प्रमाण आयोग को भेजें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–15.06.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.06.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx74	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.06.2023	वाद संख्या–12 / 2023 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती चैती मिंज एवं अन्य, ग्राम–बिन्जपुर, पंचायत–टेहरी, प्रखण्ड–बरगड़, जिला–गढ़वा उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। Telephonic conference के माध्यम से हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता ने भी स्वीकार किया है कि उन्हें राशन उपलब्ध करा दिया गया। आयोग के आदेश का अनुपालन हो जाने के उपरांत आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। 19.6.23 (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। 19/06/2023 (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx79	